स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

जीविका
JEEViKA

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

बिना किसी बंधेज–विभेद के, शौचालय सब के लिए

उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति

मासिक समीक्षा बैठक

19.08.2016

विकसित बिहार का निश्चय: शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

- खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए सभी शौचालय विहीन ग्रामीण परिवारों को शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।
- राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय के नियमित उपयोग के लिए सामूहिक व्यवहार परिर्वतन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

बिहार में ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति

ग्राम पंचायत	**8391**
खुले में शौच मुक्त घोषित ग्राम पंचायत	59
खुले में शौच से मुक्ति हेतु लक्षित ग्राम पंचायत	8332
कुल ग्रामीण परिवार	**213 लाख**
ग्रामीण परिवार जिनके पास शौचालय हैं	69.76 लाख
शौचालय विहीन ग्रामीण परिवार	143.24 लाख
अकार्यरत/ध्वस्त शौचालय वाले परिवार	16.70 लाख

स्त्रोतः पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का IMIS www.sbm.gov.in

बिहार में जिलावार ग्रामीण स्वच्छता की स्थिति

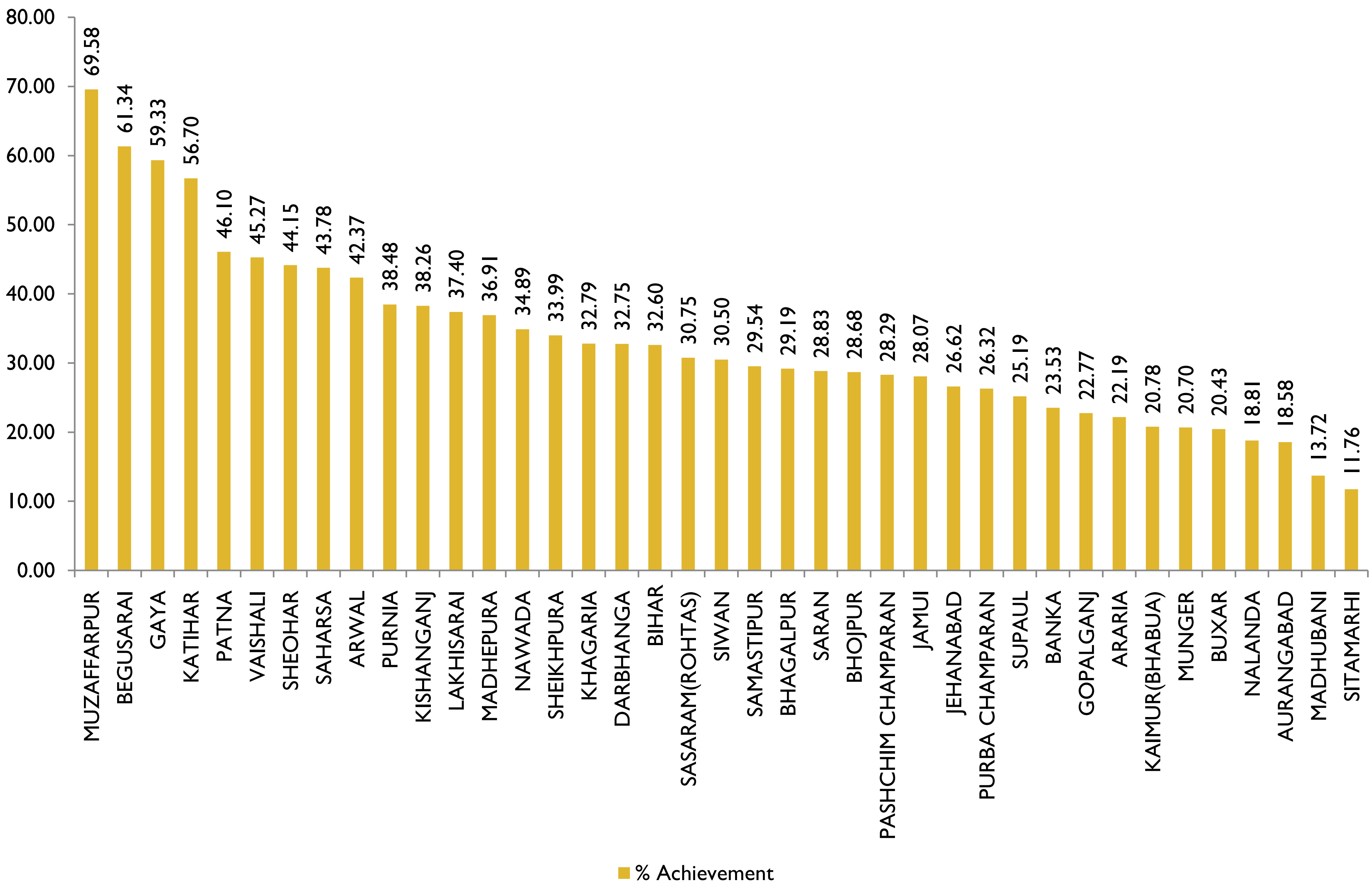

स्त्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का IMIS www.sbm.gov.in

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

- विकसित बिहार के निश्चय 'शौचालय निर्माण, हर का सम्मान' लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **'लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान'** की राज्य मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति।
- अभियान को केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं राज्य संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना के प्रावधानों से पूरा किया जायेगा।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को 2 अक्टूबर, 2019 तक 'खुले में शौच से मुक्त' बनाने का लक्ष्य

जारी.................

- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**
  - केन्द्र प्रायोजित (केन्द्रांश एवं राज्यांश 60:40 से सहायता प्रदत्त) योजना
    - घरेलू के शौचालय निर्माण एवं इसके नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहन राशि रू. 12000 का प्रावधान
    - सार्वजनिक स्वच्छता के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु लागत राशि अधिकतम रू. 2.00 लाख का प्रावधान
    - ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु 500 परिवारों से अधिक अबादी वाले पंचायत के लिए रू. 20.00 लाख राशि का प्रावधान
- **लोहिया स्वच्छता योजना:**
  - राज्य योजना मद से सहायता प्राप्त योजना
    - ग्रामीण क्षेत्र में सम्पूर्ण आच्छादन हेतु वैसे अन्य श्रेणी के ए.पी.एल. शौचालय विहीन परिवार, जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत लाभ की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिए घरेलू शौचालय का निर्माण एवं इसके नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहन राशि रू. 12000 का प्रावधान

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान: क्रियान्वयन संरचना

राज्य

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका (राज्य मिशन निदेशक)
राज्य समन्वयक
राज्य परियोजना प्रबंधक **(H&N),** जीविका एवं अन्य विशेषज्ञ

जिला

जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष)
उप विकास आयुक्त (उपाध्यक्ष)
निदेशक (लेखा), DRDA (सदस्य सचिव)
जिला समन्वयक, तकनीकी परामर्शी, कम्प्युटर ऑपरेटर

प्रखण्ड

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (अध्यक्ष)
प्रखण्ड समन्वयक (सदस्य सचिव)

ग्राम पंचायत

मुखिया (अध्यक्ष)
वार्ड सदस्य, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि, पंचायत रोजगार सेवक, इंदिरा आवास सहायक, किसान सलाहकार,, आदि

131 प्रखण्डों में जीविका संपोषित CLFs/VOs के माध्यम से क्रियान्वयन

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियानः खुले में शौच से मुक्ति के चरण

- खुले में शौच से मुक्ति हेतु ग्राम पंचायत का चयन
- समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (CLTS) पद्धति पर उत्प्रेरक का चयन एवं प्रशिक्षण
- पंचायत के बेसलाईन डाटा का अद्यतनीकरण (updation)
- उत्प्रेरकों के द्वारा पंचायत के हर टोले में Triggering तथा स्वच्छता संबंधी जानकारी लोगों तक पहुँचाना
- स्वच्छता निगरानी समिति का गठन एवं समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण
- सामग्री आपूर्ति प्रबंधन हेतु उचित एजेंसियों की पहचान एवं उनकी सूची बनाकर ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना
- रामिस्त्रियों का प्रशिक्षण एवं स्वच्छता संबंधी प्रचार–प्रसार तेल करना

जारी................

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू शौचालय के निर्माण के साथ सार्वजनिक स्थानों यथा विद्यालय, आँगनबाड़ी केन्द्र, आदि पर शौचालय निर्माण
- सामुदायिक उत्प्रेरण, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता रैली, वीडियो फिल्म प्रदर्शन आदि का आयोजन
- शौचालय निर्माण की प्रगति पर समुदाय आधारित अनुश्रवण एवं निगरानी करना
- निर्माण के उपरांत भौतिक सत्यापन तथा फोटोयुक्त दस्तावेजीकरण का कार्य
- 90 दिनों में ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त पंचायत की घोषणा (वार्डवार/ग्रामवार/पंचायतवार)
- प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान: खुले में शौच मुक्त समुदाय का लक्ष्य

क्र. सं.	जिला का नाम	लक्ष्य
1	गंगा किनारे अवस्थित 12 जिलों यथा; बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय,मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण तथा वैशाली जिला के 61 प्रखण्ड के 307 ग्राम पंचायत	नवम्बर, 2016
2	9 जिलों यथा; बांका, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी तथा वैशाली	02 अक्टूबर, 2017
3	शेष 29 जिला	02 अक्टूबर, 2019

खुले में शौच से मुक्त समुदाय

- पेयजल एवं स्वच्छता स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार राज्य में मात्र 59 ग्राम पंचायत के समुदाय ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। 38791 गांव के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 253 गांव ही खुले में शौच से मुक्त है।
  - **राज्य के 18 जिलों में एक भी ग्राम पंचायत खुले में शौच से मुक्त नहीं हो सका है।**
  - **राज्य के 10 जिलों में एक भी गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं हो सका है।**

खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतें

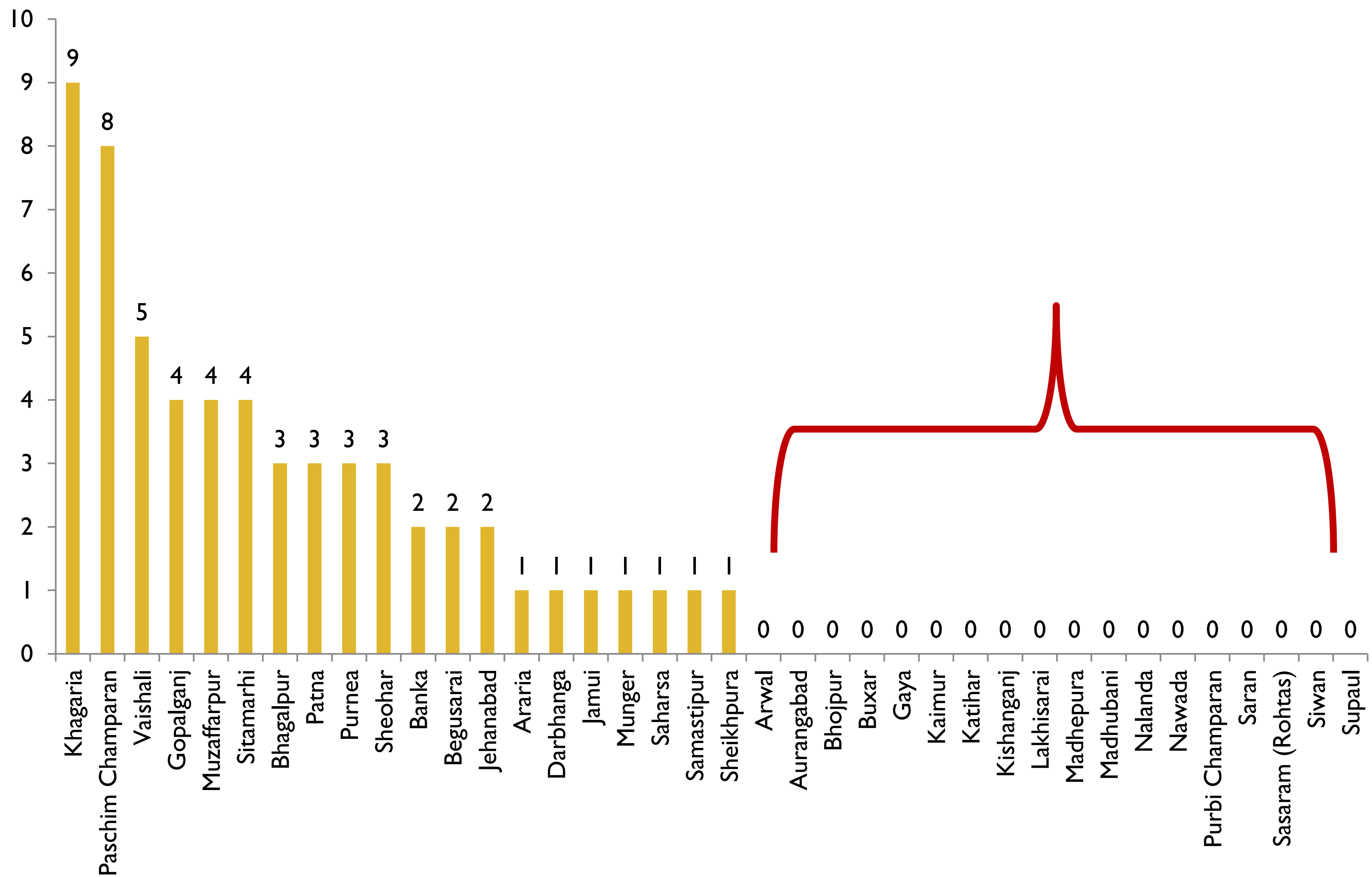

स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का **IMIS** www.sbm.gov.in

खुले में शौच से मुक्त गांव

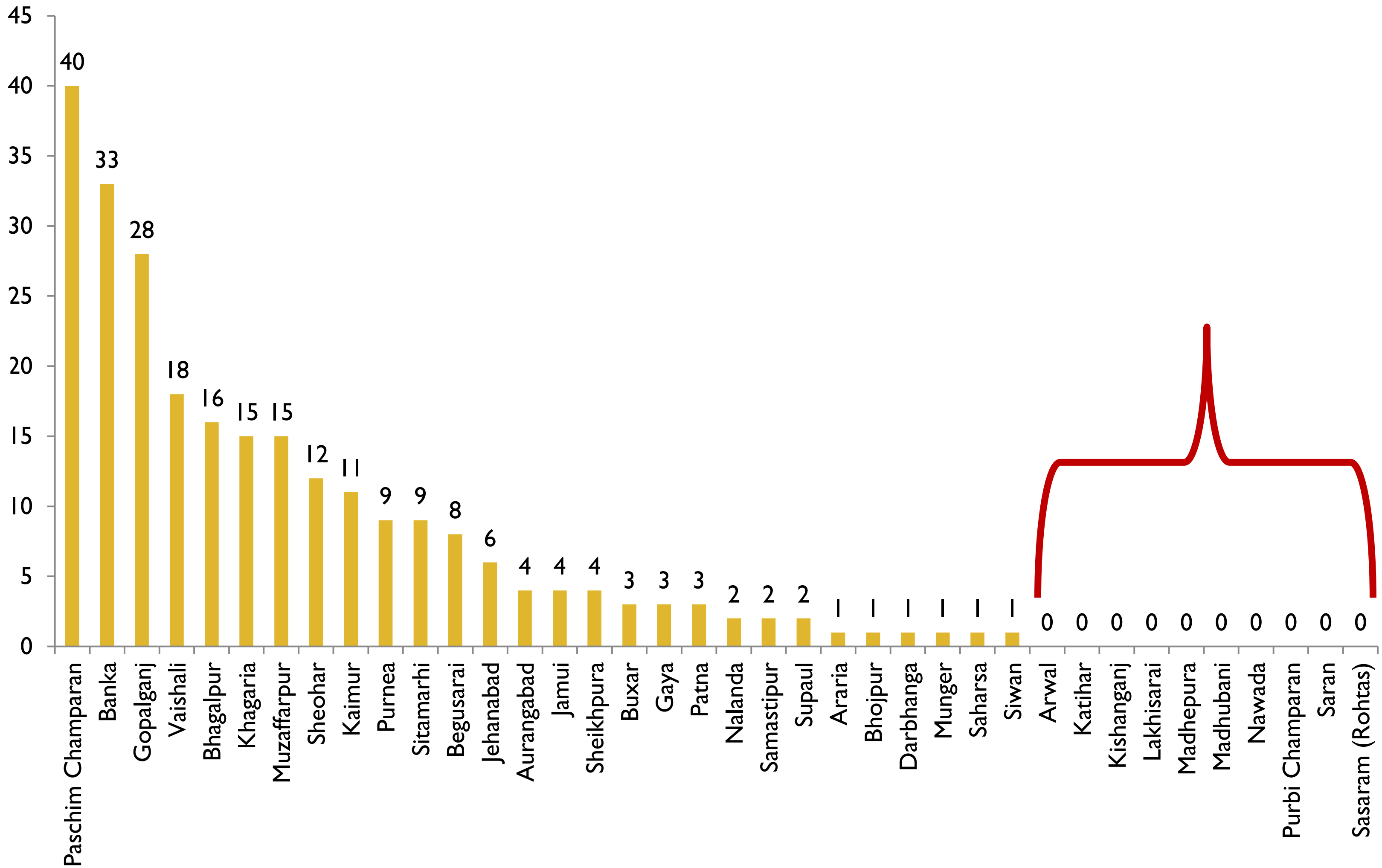

स्त्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का IMIS www.sbm.gov.in

घरेलू शौचालय का निर्माण

- **विगत वित्तीय वर्ष 2015–16** में राज्य का घरेलू शौचालय निर्माण का लक्ष्य 28.38 लाख शौचालय का था, परन्तु इसके विरूद्ध मात्र 15.02 प्रतिशत ही उपलब्धि हो सकी।
  - मात्र 20 जिलों में राज्य की उपलब्धि प्रतिशत से ज्यादा उपलब्धि हासिल कर सकें।
  - भागलपुर (8.20%), कैमूर (8.11%), मधुबनी (5.71%), नवादा (9.82%) और पुर्णिया(7.67%) की उपलब्धि उनके वार्षिक लक्ष्य से 10 प्रतिशत से भी कम रही।
- **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17** में 20.93 लाख घरेलू शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है और 15 अगस्त, 2016 तक की उपलब्धि मात्र 2.02 प्रतिशत है।
  - मधुबनी (0.10%), सारण (0.35%), सिवान (0.47%), मधेपुरा (0.43%), नालन्दा (0.52%), औरंगाबाद (0.62%), वैशाली (0.63%), मुजफ्फरपुर (0.82%), कैमूर (0.85%), खगड़िया (0.90%) और समस्तीपुर (0.95%) की उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य से 1 प्रतिशत से भी कम है।

घरेलू शौचालय की प्रगति: 2016–17

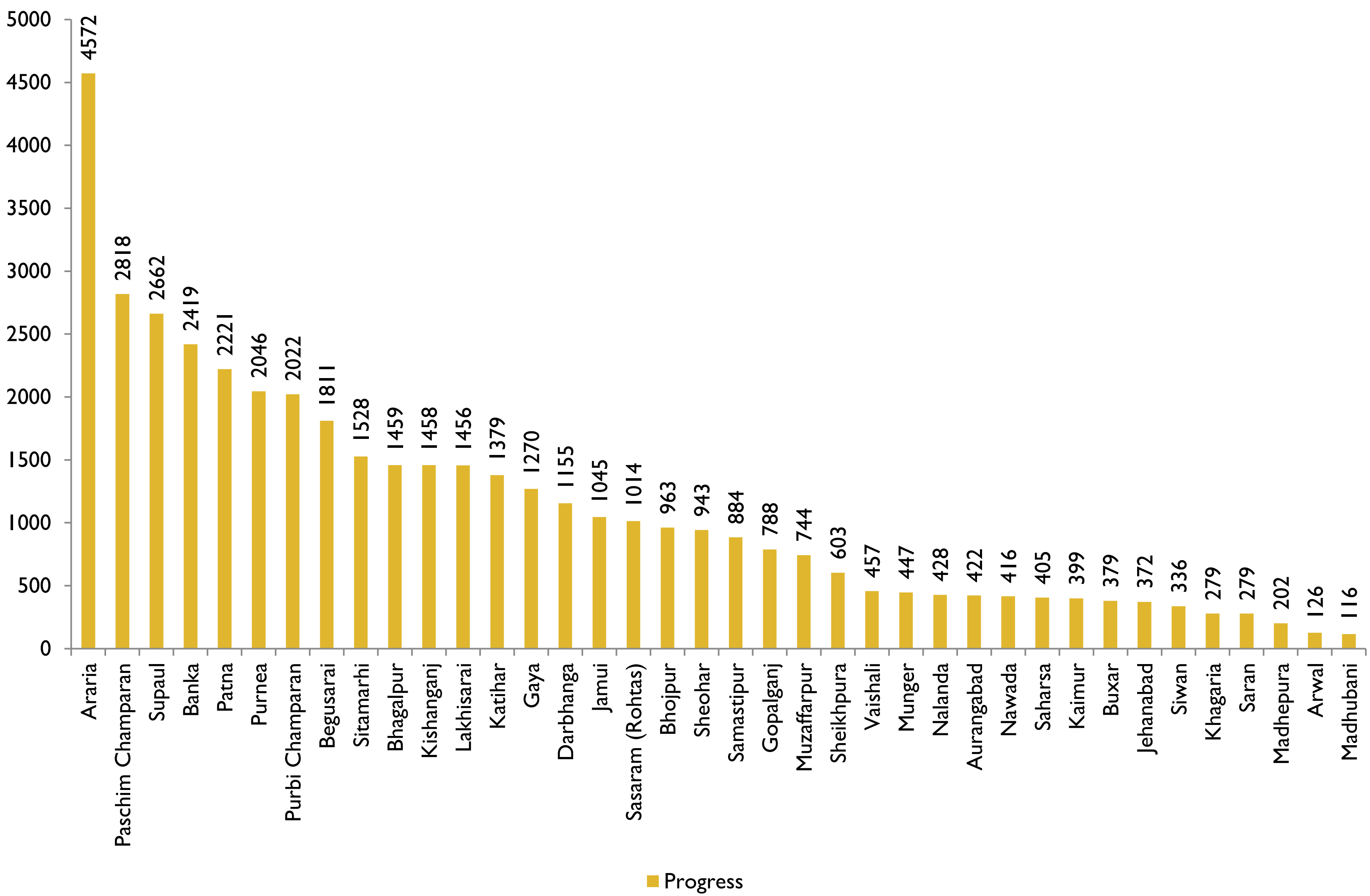

स्त्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का IMIS www.sbm.gov.in

वित्तीय प्रगति

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2015–16 में केन्द्रांश मद में रू. 32639.60 लाख और राज्यांश मद में रू. 11056.38 लाख व्यय हुए थें।

- **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 का 15 अगस्त, 2016 तक व्यय**
  - **केन्द्रांश:** रू. 2235.33 लाख
  - **राज्यांश:** रू 1462.05 लाख

वर्ष 2016–17 का केन्द्रांश व्यय (रू. लाख)

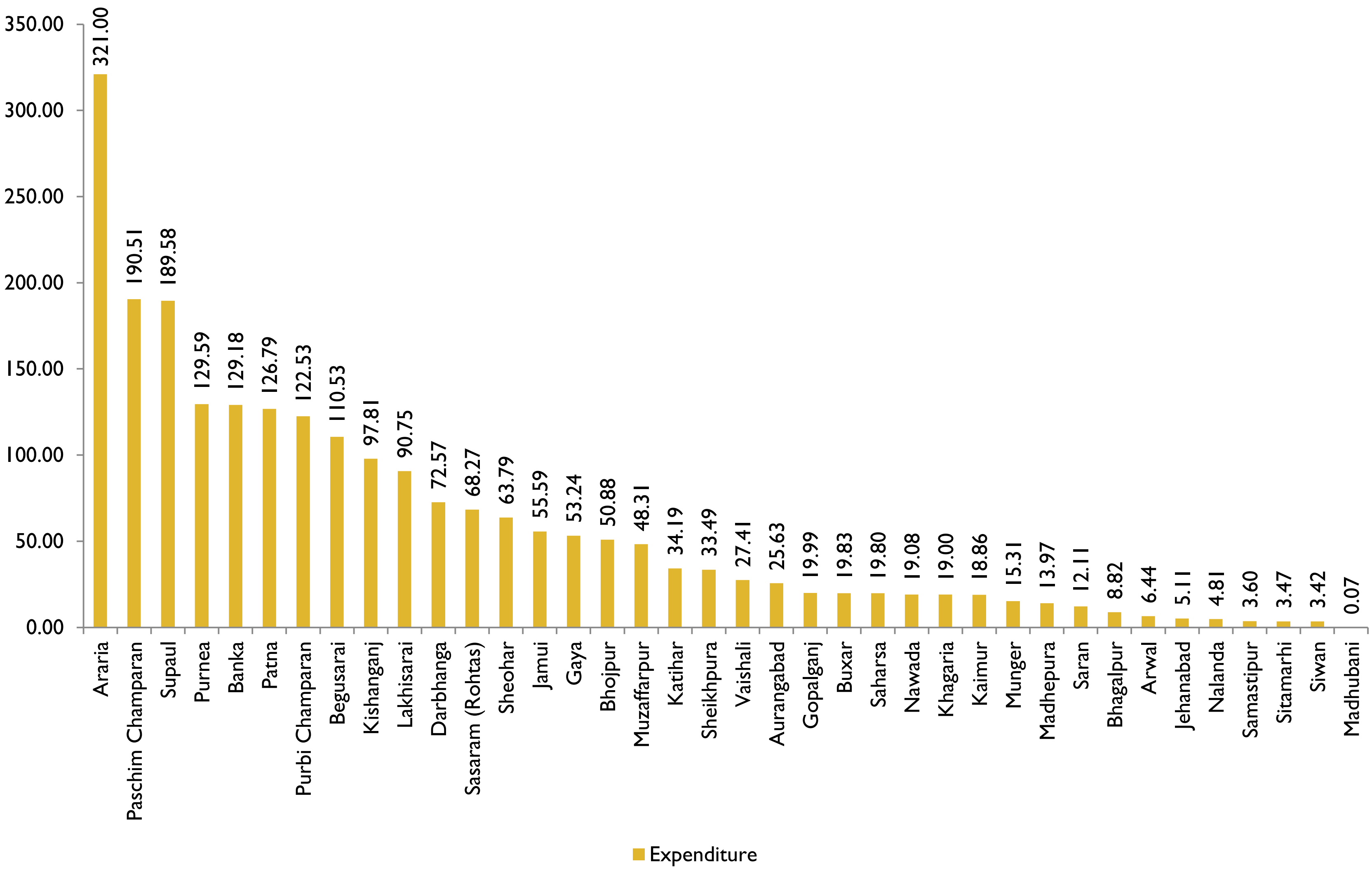

स्त्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का IMIS www.sbm.gov.in

वर्ष 2016–17 का राज्यांश व्यय (रू. लाख)

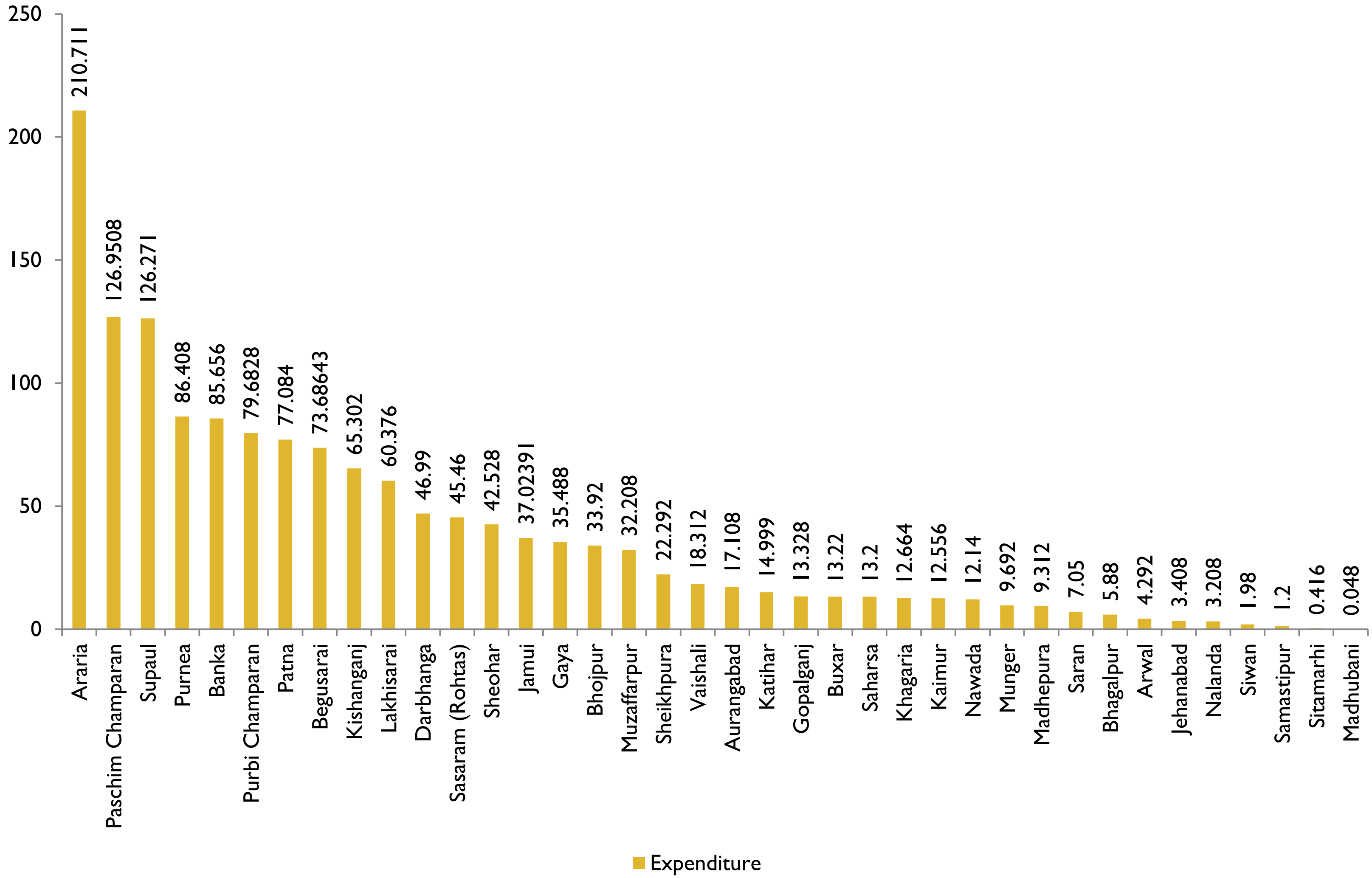

स्त्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का IMIS www.sbm.gov.in

गंगा कार्य योजना

- गंगा कार्ययोजना के अंतर्गत राज्य के 12 जिलों के 61 प्रखण्डों में गंगा किनारे अवस्थित 307 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाया जाना है।
- इन जिलों में लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त है;

जिला	सहयोगी संस्था	जिला	सहयोगी संस्था	जिला	सहयोगी संस्था
बेगुसराय	WSP/WB	कटिहार	WSP/WB	पटना	WSP/ Water Aid
भागलपुर	WSP/WB	खगड़िया	UNICEF	समस्तीपुर	Water Aid
भोजपुर	GSF	लखीसराय	GSF	सारण	WSP/WB
बक्सर	GSF	मुगेर	WSP/WB	वैशाली	UNICEF

गंगा किनारे अवस्थित ग्राम पंचायतों की खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति

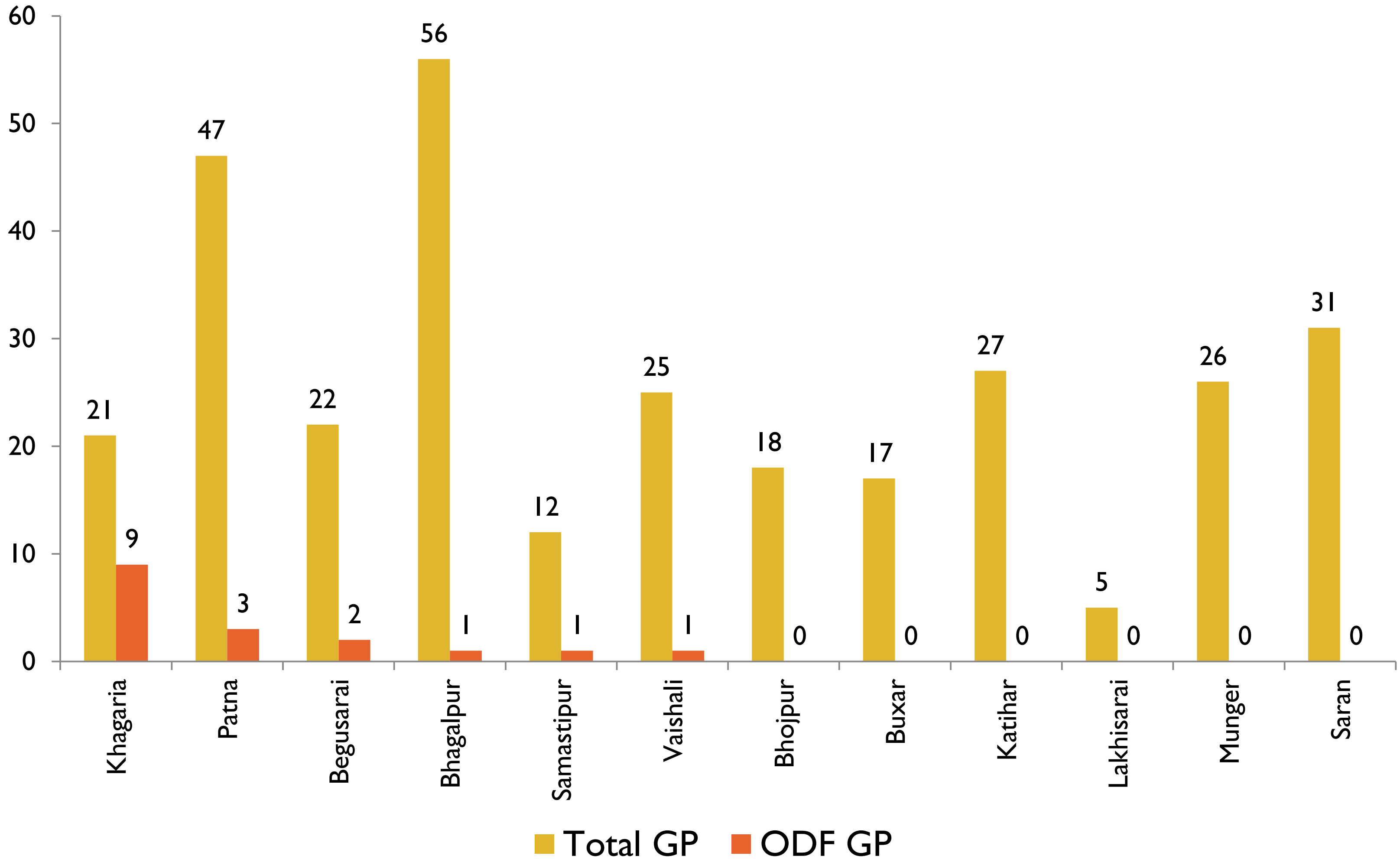

स्त्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का **IMIS** www.sbm.gov.in

गंगा किनारे अवस्थित ग्राम पंचायतों में घरेलू शौचालय निर्माण की स्थिति

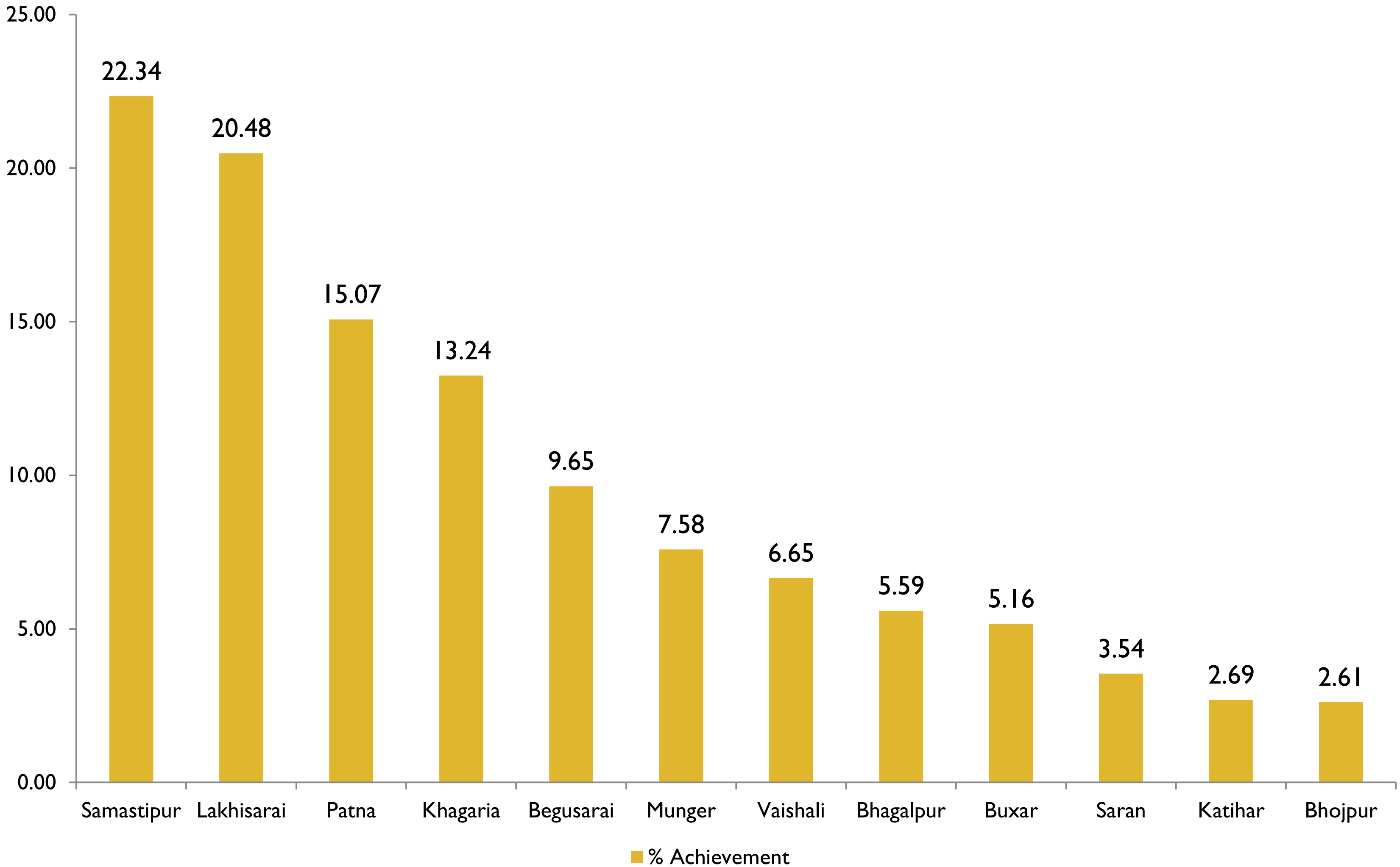

स्त्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का IMIS www.sbm.gov.in

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान: जुलाई 2016 की उपलब्धि

- माह जुलाई, 2015 में घरेलू शौचालय निर्माण की उपलब्धि **मात्र 4440** है।
  - 20 जिलों यथा; औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, सहरसा, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी और वैशाली की उपलब्धि शून्य है।
  - बेगूसराय में पूरे माह में मात्र 3 घरेलू शौचालय की प्रगति प्रतिवेदित की गई है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल से योजना हस्तांतरण की स्थिति

अपेक्षित कार्रवाई

- खुले में शौच से मुक्त जिला बनाने हेतु विभागीय ज्ञापांक: 68/सी. दिनांक: 05.08.2016 द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्ययोजना एवं रोडमैप का निर्माण कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन **(16.09.2016)**
- वर्ष 2016–17 के निर्धारित लक्ष्य को शेष अवधि में प्राप्त करने की रणनीति एवं मासिक लक्ष्य का निर्धारण कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन **(26.08.2016)**
- गंगा कार्ययोजना अंतर्गत लक्षित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाये जाने की रणनीति एवं पाक्षिक लक्ष्य का निर्धारण और रिर्पोटिंग **(26.08.2016)**
- विभागीय ज्ञापांक: 280841 दिनांक: 08.08.2016 के आलोक में बैंक खाता, निधि अंतरण, आदि से संबंधित कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन **(26.08.2016)**
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में जिला जल एवं स्वच्छता समिति के कार्यालय हेतु स्वच्छता कोषांग का गठन, आवश्यक कार्यालय फर्निचर, उपस्कर, आदि का क्रय कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन **(16.09.2016)**
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई की स्थापना, आवश्यक कार्यालय फर्निचर, उपस्कर, आदि का क्रय कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन **(16.09.2016)**

जारी......................

- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल से समन्वयक कर लंबित मामलों/अग्रिम/देनदारियों, आदि का निष्पादन कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन **(16.09.2016)**
- गंगा कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु विगत वित्तीय वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से व्यय की गई राशि को गंगा कार्ययोजना के केन्द्रांश मद की उपलब्ध राशि से recoup कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के खाते में जोड़ कर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन **(16.09.2016)**
- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक: 235537; दिनांक: 17.06.2016 एवं प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक: 890; दिनांक: 30.06.2016 के आलोक में कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन **(26.08.2016)**

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

धन्यवाद!